प्रेषक

जिला न्यायाधीश
अमरोहा।

सेवा में

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांकः 96 /2022/प्रशा./अमरोहा, दिनांकितः 11/01/2022

विषयः **कोविड–19 के कारण दिनांक 12 व 13 जनवरी 2022 को जिला मुख्यालय अमरोहा बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि जिला न्यायालय मुख्यालय अमरोहा में 02 अधिकारीगण तथा 04 कर्मचारीगण की कोविड–19 की रिपोर्ट धनात्मक पायी जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा के पत्र संख्या– मुचिअ/ कोविड–19/ 504 दिनांकित 11.01.2022 में न्यायालय अमरोहा नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार 50 मीटर के दायरे में कन्टेनमेण्ट जौंन घोषित किया जाता है तथा दिनांक 12.01.2022 व 13.01.2022 को न्यायालय कार्यालय को बन्द किये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त कारणों से जिला न्यायालय अमरोहा के मुख्यालय को दिनांक 12 व 13 जनवरी 2022 को सेनेटाइजेशन कराने के लिए बन्द किया गया है।

अतः अनुरोध है कि पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

11-1-22

जिला न्यायाधीश,
अमरोहा।

संलग्नक– यथोक्त।

DISTRICT JUDGE
AMROHA
11/01/2022

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरोहा।

आदेश संख्या– 09 दिनांकित 11/01/2022

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या– 2419 /LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad dated 02.01.2022 के बिन्दु संख्या– 8 व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या– 2423/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad dated 07.01.2022 के बिन्दु संख्या– 4 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा के पत्र संख्या – मुचिअ/ कोविड–19/ 504 दिनांकित 11.01.2022 के द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार न्यायालय अमरोहा नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार 50 मीटर के दायरे में कन्टेनमेण्ट जोॅन घोषित किया जाता है तथा दिनांक 12.01.2022 व 13.01.2022 को न्यायालय कार्यालय को बन्द किये जाने का उल्लेख किया गया है।

अतः कोरोना माहमारी के संक्रमण को न्यायालय परिसर में फैलने से रोकने के लिए सम्पूर्ण न्यायालय परिसर अमरोहा को पूर्णतः सेनेटाईज कराने हेतु 02 दिन के लिए अर्थात दिनांक 12.01.2022 व 13.01.2022 को जिला अमरोहा के केवल मुख्यालय स्थित समस्त न्यायालय एवं कार्यालय पूर्णतः बन्द रहेंगे। वाहय न्यायालय हसनपुर व ग्राम न्यायालय धनौरा यथावत खुलेंगे। दिनांक 14.01.2022 को मकर संकांती का स्थानीय अवकाश घोषित होने के कारण, दिनांक 15.01.2022 को मुख्यालय स्थित समस्त न्यायालय एवं कार्यालय पूर्ववत खुलेंगे।

उक्त अवकाश की तिथियों में दिनांक 12.01.2022 व 13.01.2022 को नियत सभी वादों में सामान्य तिथि दिनांक 27.01.2022 व 28.01.2022 नियत की जाती है। दिनांक 12.01.2022 व 13.01.2022 को नियत जमानत प्रार्थना पत्रो में सामान्य तिथि दिनांक 17.01.2022 व 18.01.2022 नियत की जाती है तथा दिनांक 14.01.2022 को मकर संकांती का स्थानीय अवकाश घोषित होने के कारण दिनांक 14.01.2022 को नियत सभी वादो में 29.01.2022 नियत की जाती है। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अमरोहा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवकाश की तिथियों में रिमान्ड आदि के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही /व्यवस्था सुनिश्चित करें।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त वर्णित पत्र के अनुकम में जिला अधिकारी, अमरोहा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमरोहा तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, अमरोहा को निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय के सम्पूर्ण न्यायालय परिसर का सेनेटाईजेशन कराया जाने सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

तद्नुसार समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

11-1-22

(संजीव कुमार)

जिला न्यायाधीश

अमरोहा।

DISTRICT JUDGE

AMROHA

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

2. जिला मुख्यालय के समस्त पीठासीन अधिकारीगण (न्यायिक अधिकारीगण)

2. जिलाधिकारी, अमरोहा।

3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अमरोहा।

4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमरोहा।

5. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।

6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अमरोहा।

7. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), अमरोहा।

8. जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी), अमरोहा।

9. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, अमरोहा।

10. जिला सूचना अधिकारी, अमरोहा को इस आशय की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

11. अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन जनपद अमरोहा।

12. अध्यक्ष/सचिव, जनपद अमरोहा बार एसोसिएशन।

13. डी.एस.ए., जिला न्यायालय अमरोहा को जिला न्यायालय अमरोहा की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

14. केन्द्रीय नाजिर को सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु।

संशोधित

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अमरोहा

सेवा में,

जिला न्यायधीश महोदय
जनपद अमरोहा

पत्रांक मुचिअ/कोविड–19/ 504 दिनांक 11.01.2022

विषय न्यायालय परिसर जोया रोड अमरोहा में कन्टेनमेंटजोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र सं0 90/2022/प्रशा0/अमरोहा/ दिनांक 11.01.2022 के क्रम में ,आपके न्यायालय परिसर कैम्प में कोविड धनात्मक केस सक्रिय है। जिसको रोकने के लिये नवीनतम दिशा–निर्देशानुसार 50 मीटर के दायरे में कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 12.1.2022 एवं दिनांक 13.01.2022 को न्यायालय कार्यालय को बन्द करने का कष्ट करे एवं न्यायालय परिसर में कोविड–19 नियमों का अनुपालन कराने का भी कष्ट करें।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अमरोहा

पृ0स0– मुचिअ/कोविड–19/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला अधिकारी महोदय अमरोहा।
2. मुख्य विकास अधिकारी अमरोहा।
3. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि न्यायालय परिसर को सैनेटाइज कराने की कृपा करें।
4. जिला सर्विलांस अधिकारी अमरोहा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अमरोहा

Seen. Inform to Hon'ble High Court

11.1.22

DISTRICT JUDGE
AMROHA